

बिहार सरकार
खेल विभाग

15372
24/6/26

ज्ञाप संख्या-5/नि. 2-5/2025

पटना, दिनांक/2026

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:-

पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में Fire fighting से संबंधित तथा अन्य कार्य हेतु * कुल ₹76,08,500/- (छिहत्तर लाख आठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना उद्ध्य के अंतर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या-03 के बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 0106-स्टेडियम एवं खेल संरचना विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य,

मांग संख्या-03 के बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0101-स्टेडियम एवं खेल संरचना विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं

मांग संख्या-03 के बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0104-स्टेडियम एवं खेल संरचना विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से होगा। जिसकी विस्तृत व्यय विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	राशि
01	03-4059600510106 (सामान्य घटक)	53-01	63,15,055 / -
02	03-4059607890101 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक)	53-01	12,17,360 / -
03	03-4059607960104 (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना)	53-01	76,085 / -
कुल योग			76,08,500 / -

- इस आय-व्यय के नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना है, जिनके द्वारा आवंटन निर्गत किया जायेगा।
- राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सचिवालय कोषागार (विश्वेश्वरैया भवन), पटना से की जायेगी।
- उक्त निर्माण कार्य का कार्यकारी अभिकरण भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होगा। जिनके द्वारा अनुमोदित मॉडल नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी खेल विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- कार्यान्वयन का अनुश्रवण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा किया जायेगा। योजना का कार्य पूर्ण होने पर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संबंधित पदाधिकारी महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को विधिवत हस्तगत करायेंगे।

7. इस प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा दिनांक-17.06.2026 को संचि सं०-5/नि. 2-5/2025 के पृष्ठ सं०-193/प० एवं दिनांक- 08.06.2026 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा पृष्ठ सं०-189/प० पर प्राप्त है।
8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998, संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 एवं संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
9. इस राशि की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/नि. 2-5/2025/.....

पटना, दिनांक-...../2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (विश्वेश्वरैया भवन), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/नि. 2-5/2025/...248...

पटना, दिनांक-23/6/2026

प्रतिलिपि-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/06/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...